


## प्रमाण-पत्र

“प्रमाणित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त प्रेषित प्रस्ताव का भली-भाँति परीक्षण कर लिया गया है तथा अधोहस्ताक्षरी इस बात से पूर्णतः संतुष्ट है कि यह प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत निर्गत आदेशों व दिशा-निर्देशों के अनुरूप है तथा समस्त वांछित अभिलेख/सूचनायें संलग्न है।”



वन संरक्षक,

अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।




**भाग-3**  
**(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)**

14.	<p>स्थल, जहाँ की वन भूमि शामिल की गई।</p> <p>क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण तारीख और किये गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।</p>	<p>पावरग्रिड कारपोरेशन लि० के 765 के०वी० उरई-अलीगढ़ पारेषण लाइन (पार्ट-4) पैकेज टी०ई०-09 पारेषण लाइन को वन भूमि के ऊपर से निकालने हेतु जनपद अलीगढ़ में 0.6595 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं प्रभावित 46 वृक्ष व 280 पौधों कुल 326 वृक्षों/पौधों तथा जनपद हाथरस 1.0082 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं प्रभावित 11 वृक्षों कुल 1.6677 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं प्रभावित 57 वृक्षों के पातन/शाखा तरासी एवं 280 पौधों की क्षति अर्थात् 337 वृक्षों/पौधों के पातन/शाखा तरासी/क्षति की अनुमति हेतु प्रस्ताव।</p> <p style="text-align: center;">नहीं</p>
15.	<p>क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।</p>	हाँ
16.	<p>प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।</p>	<p>प्रस्ताव जनहित में है। अतः स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है।</p>

तिथि:- 22.2.18

स्थान:-अलीगढ़।



(बी० प्रभाकर)

वन संरक्षक,

अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

